मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०१५

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१५ है.

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से ३,०२,७८,८८,४६४ रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ दो करोड़ अठहत्तर लाख अठासी हजार चार सौ चौंसठ रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये, ३१ मार्च १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवाएँ और प्रयोजन		(३) आधिक्य	
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा			
		राजस्व	८,८३,७७,२२६	८,८३,७७,२२६
७	वाणिज्यिक कर			
		राजस्व	२३,३५,१७० ०	२३,३५,१७०
२०	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
		राजस्व	९५,५१,७६,३७८	९५,५१,७६,३७८
२०	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
		पूंजीगत	९०,३९,७२३	९०,३९,७२३
२१	आवास एवं पर्यावरण			
		पूंजीगत	४,१०,९९,५२२	४,१०,९९,५२२

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
२४	लोक निर्माण (सड़क तथा पुल)	राजस्व	४१,०७,१६,७८३	०	४१,०७,१६,७८३
२७	स्कूल शिक्षा	राजस्व	५४,१५,०९,६९३		५४,१५,०९,६९३
३१	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी	राजस्व		४,५३२	४,५३२
५८	प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय (राजस्व).	राजस्व	३८,४७,१९,५६८		३८,४७,१९,५६८
६१	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण).	पूंजीगत	७३,३१,३६१		७३,३१,३६१
६७	लोक निर्माण (भवन)	राजस्व	५८,६८,१८,८८४	२,६७,०२४	५८,७०,८५,९०८
६९	नगरीय प्रशासन एवं विकास	पूंजीगत	४,९२,६००		४,९२,६००
	योग	राजस्व	२,८८,१२,७६,४७६	८,८६,४८,७८२	२,९६,९९,२५,२५८
		पूंजीगत	५,७९,६३,२०६	०	५,७९,६३,२०६
	कुल योग :		२,९३,९२,३९,६८२	८,८६,४८,७८२	३,०२,७८,८८,४६४

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च सन् १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ जुलाई, २०१५

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.